प्रवेश और फीस नियमन समिति,
उ0प्र0 शासन।
संख्या– 2181 /प्रफीनिस/शिका0पत्रा0/2020
लखनऊः दिनांक 24 सितम्बर, 2020

कार्यालय–ज्ञाप

प्रदेश में संचालित/स्थापित निजी क्षेत्र की डिग्री एवं डिप्लोमा स्तरीय अभियन्त्रण एवं व्यावसायिक संस्थाओं में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु प्रवेश और फीस नियमन समिति, उ0प्र0 शासन द्वारा शुल्क निर्धारित किया गया है। समिति द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेने की शिकायत प्रायः छात्रों/अभिवावकों द्वारा समिति की ई0मेल एवं दूरभाष पर प्राप्त हो रही हैं।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत **जीरो टॉलरेन्स नीति के तहत** समस्त निजी क्षेत्र की डिग्री एवं डिप्लोमा स्तरीय अभियन्त्रण एवं व्यावसायिक संस्थाओं को निदेर्शित किया जाता है कि समिति द्वारा निर्धारित शुल्क से भिन्न कोई भी शुल्क छात्रों से नहीं लिया जायेगा। समिति को यदि यह समाधान हो जाता है कि किसी डिग्री/डिप्लोमा संस्थान द्वारा समिति द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लिया गया है या अधिनियम–2006, विनियमावली–2015 में दिये गये व्यवस्था या उसके किसी उपबन्ध का अतिक्रमण किया गया है, तो समिति विनियमावली–2015 के बिन्दु–11 में दी गयी व्यवस्थानुसार संस्था के विरूद्ध शास्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति उपयुक्त सांविधिक निकाय/राज्य सरकार को करेगी।

(राजेश चन्द्रा)
सचिव

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक तदैवः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. समस्त निजी क्षेत्र की डिग्री एवं डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं को सूचनार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्राविधिक शिक्षा, विभाग उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
3. सम्बंधित जनपद के जिलाधिकारी।
4. कुलसचिव, डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।
5. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ।
6. गार्ड फाइल।

(राजेश चन्द्रा)
सचिव

D/Umesh data 2020/office order